प्रस्ताव हेतु अनुरोधः वाटर टैंक प्रदान / फिक्स करने

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)-

<u>रा.आ.बैंक के जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली के फ्लैटों में प्रीमियम गुणवत्ता, थ्री लेयर इनसयूलेटिड वाइट कलर आउटर लेयर पीवीसी वाटर स्टोरेज टैंक की फिक्सिंग और आपूर्ति हेतु निविदा</u>

परिसर विभाग

प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक

कोर 5-ए, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड

नई दिल्ली –110 003

दूरभाष : 011-39187000

ईमेल: parichay@nhb.org.in, sushil.verma@nhb.org.in, mohit.kaul@nhb.org.in

प्रस्ताव हेतु अनुरोधः वाटर टैंक प्रदान / फिक्स करने

व्याख्या *आरएफपी :, निविदा, बोली शब्द एक तथा हैं गए किए उपयोग साथ के दूसरे-स्पष्टीकरण सभी जाएगा। माना हेतु उद्देश्य के दस्तावेज आरएफपी इस एवं ही एक उसे, संशोधन, रूपांतरण, अनुपूरक आरएफपी जो इस आरएफपी के संबंध में जारी किए जा सकते हैं, उन्हें आरएफपी के अनिवार्य भाग के रूप में समझा जाएगा तथा साथ में आरएफपी दस्तावेज का गठन किया जाएगा।*

प्रस्ताव हेतु अनुरोधः वाटर टैंक प्रदान / फिक्स करने

1. महत्वपूर्ण बोली विवरण		
1.	बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज़ों की बिक्री शुरू होने की तिथि	23/02/2018
2.	बोलीदाताओं के साथ बोली-पूर्व बैठक (तिथि एवं समय)	14/03/2018 at 3:00PM
3.	बोली दस्तावेजों की प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	26/03/2018 at 6:00PM
4.	निविदा बोली खोलने की तिथि एवं समय	27/03/2018 at 3:00PM
5.	आरएफपी की लागत	शून्य
6.	बयाना जमाराशि-	30,000/-
7.	बोली खोलने का स्थान	राष्ट्रीय आवास बैंक , मुख्यालय कोर -5ए, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 –

नोट: -

- **बिड उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएगी जो उपस्थित होने के लिए चयनित किए गए हैं।**

- **उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। किसी भी परिवर्तन की सूचना केवल नामित संपर्क कर्मियों से ई-मेल अथवा बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के माध्यम से दी जाएगी।**
- **इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी साक्ष्यों/कंपनी रिकॉर्ड के माध्यम से प्रस्तुत सभी डाटा/सूचना रिपोर्ट की जाएगी एवं इस आरएफपी के प्रकाशन की यथा तारीख को मानी जाएगी।**

2. राष्ट्रीय अवास बैंक के बारे में

राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में एक सांविधिक संगठन है जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा की गई है।

क राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है:

- आबादी के सभी वर्गों को की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना
- इस अधिनियम के तहत व्युत्पन्न विनियामक एवं पर्यवेक्षक प्राधिकार के

आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को विनियमित करना।

- आवास निर्माण हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्ति केर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रात्साहित करना।

ख रा.आ.बैंक का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में है। इसके प्रतिनिधि कार्यालय हैदराबाद, चेन्नै, बेंगलुरु,कोलकाता,अहमदाबाद और भोपाल में है।

3. प्रयोजन:

रा.आ.बैंक के जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली के फ्लैटों में प्रीमियम गुणवत्ता, थ्री लेयर इनसयूलेटिड वाइट कलर आउटर लेयर पीवीसी वाटर स्टोरेज टैंक की फिक्सिंग और आपूर्ति हेतु निविदा।

4. उद्देश्य:

राप्रयोजन का बैंक.आ. जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली के बैंक फ्लैटों में थ्री लेयर इनसयूलेटिड वाइट कलर आउटर लेयर पीवीसी वाटर स्टोरेज टैंक की आपूर्ति/ फिक्सिंग करना है।

5. <u>कार्य क्षेत्र:</u>

(क) प्रीमियम गुणवत्ता, थ्री लेयर इनसयूलेटिड वाइट कलर आउटर लेयर

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: वाटर टैंक प्रदान / फिक्स करने

पीवीसी वाटर स्टोरेज टैंक की फिक्सिंग एवं आपूर्ति और स्टोरेज टैंक की खराबी के आधार पर कम से कम 3 वर्षीय निर्माण प्रतिस्थापन या मरम्मत वारंटी होगी।

(ख) अपेक्षित जल आपूर्ति कनेक्शन तैयार करने की फिटिंग्स के साथ जीआई पाइप लाइन की आपूर्ति/बिछाना।

(ग) भूतल एवं छत पर वाटर स्टोरेज टैंक में वाटर अलार्म सिस्टम प्रदान करना/फिक्स करना।

क) **<u>कार्य का विवरण</u>**

संलग्न 'मात्राओं की अनुसूची' में वर्णित एवं दिया गया कार्य।

6. **<u>प्रदेय</u>**

उपर्युक्त कार्य क्षेत्र एवं मात्राओं की अनुसूची के अनुसार प्रीमियम गुणवत्ता थ्री लेयर इनसयूलेटिड वाइट कलर आउटर लेयर पीवीसी वाटर स्टोरेज टैंक की फिक्सिंग एवं आपूर्ति के साथ जल आपूर्ति जीआई पाइप लाइन कार्य तथा भूतल एवं छत पर वाटर स्टोरेज टैंक में वाटर अलार्म सिस्टम और बैंक के फ्लैट में जल आपूर्ति में कोई बाधा पहुंचाए बिना समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करना।

7. <u>संविदा की अवधि:</u>

इस कार्य को करने के लिए कार्य शुरू होने की आभासी तिथि के बाद से दो माह का समय दिया गया है। कार्य शुरू होने की अभासी तिथि बैंक द्वारा कार्य आदेश जारी होने की तिथि से सात कार्य दिवसों के बाद से गिनी जाएगी। कार्य समाप्त करने का समय बैंक के विवेक पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: वाटर टैंक प्रदान / फिक्स करने

टिप्पणी:

यह आरएफपी ऐसे कार्यों, गतिविधियों, उत्तरदायित्वों और सेवाओं के वर्णन करने में परिपूर्ण नहीं है जिसके लिए सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। बोलीदाता, इस निविदा की भागीदारी से, अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि करता है कि यदि कोई भी कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं जो विशेष रूप से इस आरएफपी में वर्णित नहीं है, या विशेष रूप से वर्णित है लेकिन विनियामक/सांविधिक बदलावों के कारण उपयुक्त बदलाव/ संशोधन करने पड़ेंगे तथा संविदा के उचित निष्पादन हेतु रा.आ.बैंक द्वारा आवश्यक या उपयुक्त संदर्भित किए गए हैं, ऐसे कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं (लागू बदलाव के साथ, यदि कोई हो) अंतर्निहित और इस आरएफपी के सेवा क्षेत्र तहत समाविष्ट समझा जाएगा और बोलीदाता का प्रत्युत्तर उस सीमा तक तथा उसी प्रकार का होगा जैसा कि इस आरएफपी और बोलीदाता के प्रत्युत्तर में विशेष रूप से बताया गया है।

8. बोलीदाताओं को अनुदेश

8.1 सामान्य:-

- बोलीदाताओं द्वारा उत्तरों के विकास, तैयारी एवं प्रस्तुति बैठक, परिचर्चा, प्रदर्शन इत्यादि में उपस्थिति तक ही सीमित नहीं से किसी भी तरह जुड़े एवं राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अतिरिक्त सूचना प्रदान करने में खर्च की गई सभी लागत एवं व्यय पूरी तरह व विशेष रूप से बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।

- किसी भी उत्तरदाता एवं राष्ट्रीय आवास बैंक के बीच कोई बाध्यकारी संबंध मौजूद नहीं रहेगा जब तक कि अनुबंधात्मक करार का निष्पादन न किया जाय।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: वाटर टैंक प्रदान / फिक्स करने

- प्रत्येक प्राप्तकर्ता मानेगा एवं स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर पात्र वेंडर(रों) छांटने/चयन करने में प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट चयन मानदंड अपना सकता है।

- आरएफपी के लिए प्रत्युत्तर देने वाले प्रत्येक बोलीदाता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने इस आरएफपी एवं अस्वीकरण की शर्तों को स्वीकार कर लिया है।

- राष्ट्रीय आवास बैंक को आरएफपी का उत्तर देने वाले बोलीदता को यह समझा जाएगा कि उसे इस बोली/आरएफपी एवं अस्वीकरण की शर्तें स्वीकार हैं।

- बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें:

श्री सुशील कुमार वर्मा परामर्शदाता (परिसर) ईमेल आईडी : sushil.verma@nhb.org.in दूरभाष : 011- 39187252	श्री मोहित कौल सहायक महाप्रबंधक ईमेल आईडी : mohit.kaul@nhb.org.in दूरभाष : 011-39187128

- राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी बंद होने के पश्चात अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी बोलीदाता से अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है एवं बोलीदाता के प्रत्युत्तर के तौर पर ऐसी सभी सूचना एवं सामग्री उपलब्ध कराई जानी अत्यंत आवश्यक होगी।

- सभी बोलीदाता अपना संपर्क सूत्र, दूरभाष, फैक्स, ईमेल एवं पूरा पते का विवरण उपलब्ध करायें ताकि आरएफपी के प्रत्युत्तर से तुरंत अवगत कराया जा सके।

- यदि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर यह समझे कि प्रश्न का प्रवर्तक प्रश्न के प्रत्युत्तर से लाभ हासिल करेगा तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास सभी बोलीदाताओं को ऐसे उत्तर बताने का अधिकार सुरक्षित होगा।

- यदि कोई पूछताछ/स्पष्टीकरण हो तो पूर्व-बोली बैठक के दौरान ऊपर बताए गए संपर्क व्यक्ति से सोमवार से शुक्रवार सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर प्रात: 11.00 से सायं 04.00 बजे तक बोलियों के प्रस्तुत करने की समयसीमा के पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

- बोलीदाता को भारत सरकार के किसी भी विभाग/पीएसयू/बैंकों/भारत में वित्तीय संस्थानों द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से ब्लैक लिस्ट/वंचित न किया गया हो।

- रा.आ. बैंक अपनी आरएफपी के परिणाम के मुमकिन होते ही सभी शार्ट लिस्ट बोलीदाताओं को लिखित रूप में अथवा मेल के द्वारा या उसे अपनी वेबसाइट में प्रकाशित करके सूचित करेगा। रा.आ. बैंक ऐसी किसी भी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए कोई कारण देने के लिए बाध्य नहीं है।

8.2 बोली पूर्व बैठक

इस आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेहों के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी में स्पष्ट की गई तिथि व समय पर बोली पूर्व बैठक आयोजित करना चाहता है। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न लिखित

में दिनांक 13 मार्च, 2018 अथवा उससे पूर्व ईमेल द्वारा उपरोक्त ईमेल पर पहुंच जाना चाहिए। चाहिए। यह भी ध्यान दें कि किसी भी बोलीदाता के पूर्व बोली बैठक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली पूर्व बैठक में दिया जाएगा। बोलीदाताओं का प्राधिकृत प्रतिनिधि को ही बोली पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी।

8.3 निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति

निविदा दस्तावेज की साफ़्ट प्रति बैंक की वेबसाइट http://www.nhb.org.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।

8.4 निविदा/आरएफपी की अहस्तांतरणीयता

यह निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

8.5 **मिटाना अथवा संशोधन**

मिटाये अथवा संशोधित प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव में हाथ से लिखित सामग्री, सुधार अथवा संशोधन न हो। तकनीकी विवरण पूरी तरह भरा हो। सही तकनीकी जानकारी भरी जाय। जानकारी भरने में 'ठीक है', 'स्वीकार है', 'देख लिया है', 'जैसा ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है' जैसे शब्द स्वीकार्य नहीं हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक इन दिशा निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकार्य के तौर पर समझेगी। राष्ट्रीय आवास बैंक इस प्रस्ताव में किसी प्रकार के गैर अनुरूपता अथवा मामूली अनियमितता पर अपने विवेक पर छूट दे सकता

है। यह सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगी एवं राष्ट्रीय आवास बैंक के पास ऐसे छूट देने के अधिकार सुरक्षित हैं।

8.6 बोली/निवदा/आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन

- बोलियों की प्रस्तुति की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक किसी कारण के लिए बोली दस्तावेजों में संशोधन करते हुए संशोधन कर सकता है।
- ऐसे संशोधनों को बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in पर दर्शाया जाएगा।
- सभी बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरएफपी में सभी संशोधन/वृद्धि (यदि कोई हो) बोली प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने उस पर विचार कर लिया है। किसी बोलीदाता द्वारा किसी प्रकार चूक के मामले में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ. बैंक अपने विवेकानुसार बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा को आगे बढ़ा सकता है।
- रा.आ. बैंक किसी भी संवादहीनता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अलावा रा.आ. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी स्थिति में निविदा को स्क्रैप करने या निविदा प्रक्रिया को छोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

8.7 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखित होंगे।

8.8 स्थान/मात्रा बदलने का अधिकार

रा.आ. बैंक इस आरएफपी में निर्दिष्ट प्रस्तावित स्थान/स्थानों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। रा.आ. बैंक समय-समय पर, आरएफपी में निर्दिष्ट सूची में से एक या अधिक स्थान/स्थानों को जोड़ने/हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

8.9 बोली दस्तावेज (यदि प्रारूप में कोई अनुदेश अलग से निर्धारित किए गए हैं तो उनका पालन करें)

1. वाणिज्यिक प्रस्तावअनुलग्नक : II में निर्दिष्ट प्रारूप में कवरिंग पत्र के साथ अनुलग्नक I में निर्धारित प्रारूप अनुसार निविदा बोली प्रस्तुत की जानी चाहिए।
2. अनुलग्नक III में निर्धारित प्रारूप में ईसीएस मैनडेट
3. अनुलग्नक IV में निर्धारित प्रारूप में अनुपालन विवरण घोषणा
4. अनुलग्नक V के अनुसार किसी सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन द्वारा काली-सूची में न डाले जाने/ प्रतिबंधित/विवर्जित न किए जाने की स्व घोषणा
5. अनुलग्नक VI के अनुसार आपूर्ति करार
6. अनुलग्नक VII के अनुसार बैंक गारंटी

टिप्पण: ईएमडी राशि के बिना बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

8.10 बोली मुद्रा

बोलियां केवल भारतीय रुपए में उद्धृत होंगी। भारतीय रुपए के अलावा अन्य मुद्राओं में बोलियों पर विचार नहीं किया जा सकता है।

8.11 बयाना जमा-राशि (ईएमडी)

(क) सभी बोलियां **राष्ट्रीय आवास बैंक** के पक्ष में ई से माध्यम के भुगतान- 30,000/- रुपए (तीस हजार रुपए मात्र(की प्रतिदेय ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा राशि के साथ होनी चाहिए।

खाता ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1	लाभार्थी का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2	लाभार्थी का पता	कोर 5-ए, चौथा तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003
3	लाभार्थी के बैंक का नाम	भारतीय स्टेट बैंक
4	लाभार्थी की बैंक शाखा का पता	प्रगति विहार दिल्ली शाखा, भूतल, कोर-6, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003
5	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6	लाभार्थी बैंक खाता सं.	52142903844
7	बैंक शाखा का आईएफएससी कोड	SBIN0020511
8	एमआईसीआर नं	110004005

क) भुगतान का प्रमाण संलग्न होना चाहिए और अलग लिफाफे में डालना चाहिए; इसके अभाव में बोली पर आगे मूल्यांकन के लिए विचान नहीं किया जाएगा। बोलीदाताओं को **अनुलग्नक III** में निर्धारित प्रारूप में ईसीएस मैनडेट फॉर्म भी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

ख) उचित रूप और तरीके में प्राप्त न की गई ईएमडी के बिना बोली को अनुत्तरदायी और अस्वीकृत माना जाएगा।

ग) ईएमडी में छूट के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

घ) यहाँ उपलब्ध या उचित रूप में निर्णायक करार के अनुसार, निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पर या कार्य/संविदा सौंपने के 30 दिन से पहले सभी असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि वापस कर दी जाएगी।

ङ) करार के अनुसार, सफल बोलीदाता की ईएमडी राशि चालू खाता बिलों में से काटी जाने वाली 10% की दर से प्रतिभूति जमा के एवज में प्रतिधारण राशि के रूप में समायोजित की जाएगी, जो कि चूक देयता अवधि पूर्ण होने के बाद वापस की जाएगी। इस आरएफपी की शर्तों के अनुसार कुल संविदा मूल्य की 10 प्रतिशत राशि हेतु अपूर्ति करार के निष्पादन के बाद एवं पीबीजी के प्रस्तुतीकरण पर वापस कर दी जाएगी।

च) ईएमडी जब्त की जा सकती है:

- यदि बोलिदाता बोली वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है;
- बोलिदाता कोई बयान देता है या किसी फॉर्म को संलग्न करता है जो संविदा पर हस्ताक्षर होने से पूर्व किसी भी समय गलत/त्रुटिपूर्ण पाया जाए;
- सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलीदाता संविदा पर हस्ताक्षर करने मे विफल होता है; और

- पूर्व-संविदा समग्रता अनुबंध के भंग होने के मामले में।

8.12 कार्यान्वयन अनुसूची

- बोलीदाता सेवाओं के वितरण के लिए जिम्मेदार होगा।

क्रम सं.	खरीद आदेश	वितरण अनुसूची का)र्य आदेश की सौंपने पत्र/ स्वीकृति की तिथि से(
1.	शुरुआती बैठक	कार्य सौंपने के बाद दिन 3
2.	कार्य शुभारंभ	कार्य सौंपने के भीतर के दिन 7
3.	कार्य समाप्ति	प्रारंभ होने की तिथि से दो माह

- आरएफपी की शर्तों के अनुसार केवल आपूर्ति करार के निष्पादन के बाद बिलिंग चक्र शुरू होगा।

8.13 बोलियों की वैधता अवधि

- रा.आ.बैंक की स्वीकृति हेतु बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तावित अन्य शर्तें एवं कीमत को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने की तारीख से 06 माह की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।

- विशेष परिस्थितियों में रा.आ. बैंक बोलीदाता की वैधता अवधि को बढ़ाने की मांग पर सहमति दे सकता है। ऐसा कोई अनुरोध और उत्तर लिखित में होगा। बोली जमानत/ प्रदान की गई ईएमडी भी बढ़ाई जाएगी।

8.14 प्रारूप और बोलियों पर हस्ताक्षर

- यहां वाणिज्यिक बोली को ''वाणिज्यिक प्रस्ताव'' के रूप में संदर्भित किया गया है।

- मूल बोली अमिट स्याही में टाइप या लिखी जाएगी और बोलीदाता को संविदा में बनाए रखने के लिए बोलीदाता या व्यक्ति या विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति असंशोधित मुद्रित साहित्य को छोड़कर बोलियों के सभी पृष्ठों पर आद्याक्षर करेगा।

8.15 बोलियों की मुहरबंदी और चिह्नांकन

- लिफाफा उप महाप्रबंधक, परिसर विभाग, राष्ट्रीय आवास बैंक, कोर 5ए, चौथा तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003 को संबोधित किया जाएगा।

- सभी लिफाफों के कवर पर बोलीदाता के टेलीफोन/मोबाइल नं. के साथ नाम और पता इंगित करना चाहिए। वाणिज्यिक प्रस्ताव को अलग लिफाफे में रखें और ईएमडी/भुगतान के प्रमाण को अलग लिफाफे में रखें। दोनों लिफाफों को एक बाहरी लिफाफे में रखें।

- लिफाफे में पारदर्शी भाग नहीं होना चाहिए तथा उस पर **''जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली के फ्लैटों में प्रीमियम गुणवत्ता, थ्री लेयर इनसयूलेटिड वाइट कलर आउटर लेयर पीवीसी वाटर स्टोरेज टैंक की फिक्सिंग और आपूर्ति हेतु प्रस्ताव''** लिखा जाना चाहिए।

- यदि लिफाफे को मुहरबंद और चिह्नित नहीं किया जाता है तो रा.आ. बैंक बोली के खो जाने या उसके समय से पहले खुल जाने की जिम्मेदारी नहीं लेगा।

- ठीक से मुहरबंद न हुई बोली पर विचार नही किया जाएगा और बिना किसी दायित्व के अस्वीकार कर दिया जाएगा।

8.16 बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा

- रा.आ.बैंक को उपर्युक्त बोली प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि से पहले निर्धारित पते पर बोली प्राप्त होनी चाहिए।

- बोली प्रस्तुत करने की निर्दिष्ट तिथि रा.आ. बैंक के लिए अवकाश घोषित होने की स्थिति में, बोलियां अगले कार्य-दिवस पर नियत समय तक प्राप्त की जाएंगी।

- रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, रा.आ. बैंक की वेबसाइट पर सूचना देकर बोली दस्तावेजों में संशोधन करके बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है, ऐसे मामले में, रा.आ. बैंक और बोलीदाताओं के पहले निर्धारित समय सीमा के अधीन सभी अधिकार और कर्तव्य बढ़ाई गई समय सीमा के अधीन होंगे।

8.17 विलंबित बोलियां

रा.आ. बैंक द्वारा निर्धारित बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा के बाद प्राप्त हुई किसी बोली को रा.आ. बैंक द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा और बिना खोले बोलीदाता को वापस कर दिया जाएगा।

8.18 रा.आ. बैंक द्वारा बोलियां खोलना

- निर्धारित तिथि और समय पर, बोलीदाता प्रतिनिधि की उपस्थिति में जो निर्दिष्ट तिथि पर बैठक में भाग लेंगे, रा.आ. बैंक समिति द्वारा बोलियां खोली जाएंगी।

  बोलियों खोलने का स्थान: बैठक कक्ष, राष्ट्रीय आवास बैंक, कोर 5ए, चौथा तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003

- बोलीदाता का नाम और अन्य विवरण बोली खुलने के समय उद्घोषित किए जाएंगे।

8.19 बोलियों का स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के दौरान, रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकर पर, उनकी बोली के स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए बोलीदाता से पूछ सकता है। स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध एवं उत्तर लिखित (फैक्स/ई-मेल) में होगा और बोली के सार से संबंधित परिवर्तन में किसी मांग, प्रस्ताव या अनुमति पर विचार नहीं किया जाएगा।

8.20 प्रारंभिक जांच

- रा.आ बैंक बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूर्ण हैं, दस्तावेजों को ठीक प्रकार से हस्ताक्षरित किया गया है; सहायक कागजात / दस्तावेज संलग्न हैं और बोली सामान्यत: क्रम में हैं।

- रा.आ.बैंक स्व-निर्णयानुसार, मामूली गलतियों, अननुपालन या अनियमितता में छूट कर सकता है, जिनसे बोली की विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बशर्ते इस तरह की छूट से किसी बोलीदाता की रैंकिंग पर प्रभाव न पड़े।

- रा.आ.बैंक का निर्णय बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के लिए अंतिम है।

8.21 प्रस्तावित स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सभी सहायक प्रलेखन और प्रस्ताव रा.आ. बैंक की संपत्ति बन जाएंगे जब तक कि रा.आ. बैंक लिखित में बोलीदाताओं के विशिष्ट आवेदन/आवेदनों से सहमत नहीं है कि प्रस्ताव और प्रलेखन वापस या नष्ट हो जाएंगे।

8.22 बोलीदाताओं को निर्देश

बोलीदाता रा.आ.बैंक द्वारा सौंपे गए कार्य को रा.आ. बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी तृतीय पक्ष से आउटसोर्स नहीं कर सकता है और रा.आ.बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतें अपनी सेवा/समर्थन अवसंरचना द्वारा ही निपटाएगा।

8.23 लागत संरचना एवं परिवर्तन

- वाणि ज्यि क प्रस्ताव स्थिर मूल्य आधार पर होगा। संविदा की अवधि के दौरान किसी भी कार्य के लिए समनुदेशित कार्य की लागत करों को छोड़कर निविदा (वर्तमान एवं भावी) से संबंधित मूल्य परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रस्ताव हेतु अनुरोधः वाटर टैंक प्रदान / फिक्स करने

- कार्य की मात्रा में किसी भी विचलन का भुगतान केवल निविदा स्वीकृत दरों पर ही होगा।
- लागू टीडीएस को समय-समय पर सभी भुगतानों में से वसूल किया जाएगा।

8.24 सपोर्ट सेवाओं की यथासमय उपलब्धता

ठेकेदार के पास इस परियोजना के अंतर्गत कार्यस्थल पर सभी अपेक्षित सपोर्ट देने के लिए जरूरी कार्यबल / सामग्री / तंत्र / टी एंड पी / सुरक्षा घेरा / सूचना पट्ट-आदि के मामले में उचित और पर्याप्त सहायक तंत्र उपलब्ध होना चाहिए।

8.25 बैंक की निबंधन व शर्तें

1. बैंक की संपत्ति को हुई किसी प्रकार की क्षति को ठेकेदार स्वयं के जोखिम व लागत पर ठीक करेगा।
2. जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक के लिए ठेकेदार स्थल पर कार्य करने के दौरान एक तकनीकी स्थल पर्यवेक्षक तैनात करेगा।
3. यह कार्य बैंक अधिकारियों, आसपास रहने वाले लोगों /वाहनों को परेशान किए बिना दिन व रात्रि में किया जा सकता है।
4. ठेकेदार इस कार्य में कोई बाल श्रमिक को काम पर नहीं लगाएगा।
5. निर्माण गतिविधियों से संबंधित श्रम कानूनों के सभी प्रावधानों का पालन ठेकेदार द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
6. ठेकेदार को कार्यस्थल पर कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी आवश्यक उपकरण एवं संयंत्र (टी एंड पी) इत्यादि की व्यवस्था करनी होगी।
7. ठेकेदार को दैनिक कार्य की समाप्ति पर सभी मलबे को साफ करना है।

8. ठेकेदार काम पर रखे गये श्रमिकों के आचार सहिंता के लिए जिम्मेदार होगी।

9. कार्य स्थल पर तैनात बैंक के अधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि पर संतोषजनक ढंग से पूरा किया जाए।

10. ठेकेदार को सूचित किया जाता है कि वह कार्य के निष्पादन के लिए दरें उद्धृत करने से पूर्व बाधाओं, कम जगह इत्यादि की उपलब्धता पर ध्यान दें।

11. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किया गया ऐसा कोई भी ऑफर जो इस आरएफपी में बताई गई प्रत्येक शर्त को पूरा नहीं करता हो उसे बैंक के विवेक पर निरस्त किया जा सकता है।

12. रा.आ. बैंक के पास इसका अधिकार सुरक्षित होगा कि वह सभी प्रस्ताव दरों या उसके किसी भाग को स्वीकार करे और ठेकेदार उसके द्वारा उद्धृत दरों पर मानने को बाध्य होगी।

13. ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरों के आंकड़ों अथवा शब्दों में पैदा होने वाली कोई विंगतियों के मामले में केवल शब्दों में उद्धृत दरें ही स्वीकार्य होंगी।

14. ठेकेदार को कार्य आदेश प्रदान करने के पश्चात बैंक के परिसर विभाग के साथ परामर्श करते हुए 7 दिनों की अवधि के भीतर कार्य पूरा करने के लिए कार्यक्रम सूची तैयार करनी है।

15. इन शर्तों के साथ प्रत्येक कार्य एवं विनिर्देशों के संबंध में संभावित मात्राओं की अनुसूची। संभावित मात्राओं की अनुसूची में बैंक के विवेक पर छोड़ना, कटौती अथवा जोड़ते हुए सुधार किया जा सकता है।

16. ठेकेदार उसे सौंपे गये कार्य अथवा उससे जुड़ी किसी उप-संविदा के संशोधन से उत्पन्न देरी अथवा परियोजना के अन्य व्यापार के लिए संविदा प्रदान करने अथवा ऐसे कार्यों के शुरू करने अथवा पूरा करने अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा अन्य निर्माण सामग्री की खरीद अथवा निर्माण के प्रयोजनार्थ जल एवं

बिजली कनेक्शन प्राप्त करने अथवा कोई अन्य कारण जो भी हो में हुई देरी सहित कार्य शुरू करने अथवा निष्पादन करने में देरी, देरी का जो भी कारण हो, के कारण उसको हुई कोई हानि के लिए कोई क्षतिपूत्रि का हकदार नहीं होगा एवं बैंक तत्संबंधी कोई दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। बैंक ऐसे परिवर्तनों के अधीन जैसा इसके लिए उपलब्ध किया गया है, निविदा राशि के अलावा कोई राशि की देयता स्वीकार नहीं करता है।

17. सफल बोलीदाता कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों के किसी मद को पूरा करने के लिए बाध्य है भले ही ऐसी मदें मात्राओं की अनुसूची एवं दरों में शामिल न हों। कोई अतिरिक्त मद एवं उनकी मात्राओं के संबंध में अनुदेशों की अनुसूची बैंक द्वारा लिखित में जारी की जाएगी।

18. यह कार्य अद्यतन शुद्धि पत्र के साथ सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देशों अंक I एवं II, 2009 के अनुसार निष्पादित किया जाएगा।

19. यह ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह इस कार्य का निष्पादन करने में प्रासंगिक संहिताओं के अनुसार अपेक्षित सुरक्षा उपायों/सावधानियों का ध्यान रखें। राष्ट्रीय आवास बैंक कामगारों के साथ होने वाली कोई दुर्घटना/चोट/हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

20. श्रमिकों के काम करने एवं/अथवा आवाजाही, सामग्री इत्यादि पर आरडब्ल्यूए, सुरक्षा, इत्यादि द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं। ठेकेदार ऐसे अनुदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा एवं यदि ऐसे प्रतिबंध से वेंडर पर कोई शुल्क लगता है तो इस संबंध में कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

21. इस कार्य की अवधि में होने वाली सभी खराबी/पुर्जों का प्रतिस्थापन इत्यादि ठेकेदार अपनी लागत पर करेगा और बैंक द्वारा इस संबंध में कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

22. उद्धृत दरों मदों के लिए ठेकेदारों को संपत्ति दरों का विश्लेषण ठीक प्रकार से करना चाहिए और उसे उद्धृत करना चाहिए क्योंकि बैंक अपनी सुविधा और आवश्यकता के हिसाब से निष्पादन हेतु इन मदों को चुन सकता है। उस मामले में ठेकेदार उनके द्वारा उद्धृत दरों पर उक्त के निष्पादन के लिए बाध्य होंगे।

8.26 बोली मूल्यांकन

सबसे कम मूल्य उद्धृत करने वाली कंपनी का चयन किया जाएगा और कीमत-संबंधी बातचीत (यदि कोई हो) के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

8.27 आशोधन एवं आहरण

- एक बोलीदाता केवल एक ही प्रस्ताव को प्रस्तुत करेगा। यदि कोई बोलीदाता एक से अधिक प्रस्तावों को प्रस्तुत करता है तो ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि केवल बोली पूर्व बैठक के पश्चात ही बोलियों को प्रस्तुत करें क्योंकि एक बार प्रस्तुत किए जाने पर उन्हें अंतिम माना जाएगा और इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोलियों के प्रस्तुत करने की अंति म तिथि के पश्चात किसी भी बोली को संशोधित नहीं किया जाएगा। किसी भी बोलीदाता को बोली के वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि पता चले कि बोलीदाता एक सफल बोलीदाता है।
- बैंक को कोई या सभी निविदाएं बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा। बैंक किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों के प्राप्त नहीं होने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

8.28 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसीनिबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती है तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा।

8.29 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता ऐसी स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो अनुबंध के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

8.30 राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

8.31 प्रस्ताव की सामग्री

बोलीदाताओं के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रकिया का मुख्य विषय है इसलिए यह आवश्यक है कि बोलीदाता ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें।

8.32 प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर किये गये बोलीदाता

बोलीदाता को यह घोषणा पत्र देना होगा कि उन्हें किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर नहीं किया गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो यह तथ्य स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाय। यदि यह घोषणापत्र नहीं दिया जाता है तो बोली गैर जिम्मेदारी के तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी।

8.33 कानूनों का अनुपालन

(क) बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएं के बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/ अधिकारीगणों/ कर्मचारीवर्ग/ कार्मिकों/ प्रतिनिधियों/ एजेंट की क्षतिपूर्ति, हानिरहित रखना, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

(ख) बोलीदाता ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी

विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना की अवधि के दौरान उसे बैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/ अधिकारीगणों/ कर्मचारी वर्ग/ कार्मिकों/ प्रतिनिधियों/ एजेंट की क्षतिपूर्ति, हानि रहित रखना, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा। राष्ट्रीय आवास बैंक सलाहकार को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।

(ग) यदि राष्ट्रीय आवास बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत बोलीदाता के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

8.34 झूठा/अधूरा विवरण

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदि निविदा/बोली के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गयी उसकी बोली/निविदा की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी

रोकती है तो उसका/उनकी बोली (यों)/ निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे:

क)यदि ऐसा विवरण निविदा के चरण में पाया जाता है तो उसकी कुल बयाना राशि/ईएमडी जब्त कर दी जाएगी एवं निविदा/बोली को सरसरी तौर पर ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ख) यदि ऐसा विवरण अनुबंध के चरण में पाया जाता है तो रा.आ.बैंक अपने विवेक पर बैंक गारंटी के आमंत्रण समेत संविदा की समाप्ति हेतु आरएफपी में दी गई उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है।

8.35 बैंक गारंटी (बीजी)

सफल बोलीदाता को **अनुलग्नक-VI** में मूलत: निर्धारित प्रारूप में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी के रूप में संविदा मूल्य की कुल लागत के 10% बैंक गारंटी प्रदान करना होगा। बीजी को संविदा अवधि की समाप्ति से परे कम से कम छः महीनों या रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित ऐसी अन्य विस्तारित अवधि के लिए वैध होना चाहिए। सफल बोलीदाता द्वारा गैर-निष्पादन या आरएफपी नियम में चूक के जोखिम समेत श्रम कानून या कोई अन्य कानूनों/ नियमों/ विनियमों एवं प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अननुपालन के विरुद्ध रा.आ.बैंक के हित की रक्षा के लिए बीजी की आवश्यकता है। संविदा की शर्तों के सफल कार्यान्वयन में चूक बीजी के आह्वान को वारंट कर सकता है, तथा यदि बोलीदाता की कोई गतिविधि का परिणाम हर्जाना/ अर्थदंड होता है, तो रा.आ.बैंक प्रस्तुत बोलीदाता द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी आह्वान करने का अधिकार रखता है। रा.आ.बैंक का निर्णय प्रयोज्य सांविधिक प्रावधान आदि के गैर अनुपालन सहित गैर-निष्पादन या आरएफपी नियम में चूक के रूप में अंतिम होगा और सफल बोलीदाता पर बाध्य होगा।

9. वाणिज्यिक नियम व शर्तें

बोलीदाता से अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु निम्नलिखित वाणिज्यिक नियम व शर्तों को नोट करें।

9.1 मूल्य

(क) बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य में सभी प्रकार की लागतें शामिल होनी चाहिए।

(ख) मूल्य पूर्ण संविदा अवधि के लिए वैध और स्थिर हो।

(ग) मूल्य में वाणिज्यिक बोली के अनुसार सभी कर (जीएसटी के अलावा), शुल्क, लेवी प्रभार, परिवहन, बीमा समाविष्ट हो।

(घ) समायोज्य मूल्य कोटेशन के साथ प्रस्तुत की गई बोली को गैर-उत्तरदायी के तौर पर माना जाएगा और रद्द किया जाएगा।

(ङ) भविष्य की आवश्यकताओं के लिए, संविदात्मक दर पर वाणिज्यिक प्रस्ताव एवं इस आरएफपी के लागू नियमों के अनुसार आदेश प्रस्तुत किया जाएगा। आदेश स्वीकार करने में असफल होने पर रा.आ.बैंक के विवेक पर इस आरएफपी के अर्थदंड एवं समाप्ति के नियम लागू होंगे।

(च) संविदा के बोलीदाता के कार्य-निष्पादन के दौरान बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमत स्थिर रहेगी।

9.2 भुगतान शर्तें

दोष देयता अवधि	काम के पूरा होने के पश्चात 12 महीने
प्रारंभ करने की तिथि	कार्य सौंपने के 7 दिनों के भीतर
समापन की तिथि	प्रारंभ करने की नि यत तारीख के पश्चात

प्रस्ताव हेतु अनुरोधः वाटर टैंक प्रदान / फिक्स करने

	दो महीने
अंतरिम भुगतानों हेतु कार्यों का मूल्य	कुल 3 बिल प्रत्येक चालू बिल के लिए किए गए कार्यों का न्यूनतम मूल्य 05 लाख रूपये का हो
प्रति धारण राशि/ प्रतिभूति जमाराशि	प्रत्येक चालू बिल में से कुल परियोजना लागत का 10% वसूल किया जाए

निम्नलिखित भुगतान शर्तों के अनुसार बैंक गारंटी के प्रस्तुतीकरण एवं आपूर्ति करार के हस्ताक्षर के बाद कोई भुगतान जारी किया जाएगा।

9.3 संविदा की समाप्ति की स्थिति में भुगतान

आरएफपी की शर्तों के अधीन, यदि संविदा का समापन होता है तो सेवाओं के प्रति भुगतान को लागू दंड और टीडीएस /अन्य लागू करों को काटने के पश्चात उस अवधि जिसके लिए वे सेवाएं दी गई हों, के लिए यथानुपात आधार पर किया जाएगा।

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

www.nhb.org.in **– What's New**